5रु. Rs.5 INDIA भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES

कोर्ट फी Rs.20 20रु. COURT FEE INDIA भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES

232

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

निग - 4100 - I - 15

प्रकरण क्रमांक- /2015 निगरानी

श्रीमती पदमा शर्मा पुत्री श्री रामदत्त शर्मा, पत्नी श्री विपिन शर्मा, आयु-3_ वर्ष, व्यवसाय-गृहणी, निवासी-ढोलीबुआ का पुल, लश्कर ग्वालियर (म0प्र0) ----आवेदिका

दिनांक 23.12.15 को श्री विजय कृष्ण सोनी अभि० द्वारा प्रस्तुत।
23.12.15
50

बनाम

1. उपेन्द्र शर्मा पुत्र श्री देवदत्त शर्मा, आयु-लगभग 25वर्ष, व्यवसाय-कृषि, निवासी-ग्राम लल्लू वसई, तहसील अम्बाह जिला मुरैना (म0प्र0) ----अनावेदक
2. श्रीमती महादेवी शर्मा पत्नी श्री रामदत्त शर्मा, आयु-60वर्ष, व्यवसाय-गृहणी, निवासी-ग्राम लल्लू वसई, हाल- खडियाहार, तहसील अम्बाह जिला मुरैना (म0प्र0) ----प्रारूपी अनावेदक

Received copy 19/1/16

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता विरूद्ध प्रकरण क्रमांक-40/2012-14 अपील मा श्रीमती महादेवी शर्मा विरूद्ध उपेन्द्र शर्मा एवं अन्य में पारि आदेश दिनांकी 08.12.2015 जिसके द्वारा आवेदिका
...मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता वा

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 4100/ I/2015 निगरानी जिला मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–9–2016	आवेदिका की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कृष्ण योगी उपस्थित, अनावेदक क.–1 की ओर से अधिवक्ता श्री एम.पी. भटनागर उपस्थित। अनावेदक क.–2 एकपक्षीय, आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह के प्रकरण कमांक 40/2012–13 अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 8–12–2015 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता–1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि, अनावेदक क.1 द्वारा ग्राम लल्लू वसई, तहसील अम्बाह, जिला मुरैना में स्थित भूमि सर्वे कमांक 644 रकवा 0.15 हैक्टर, 660 रकवा 0.38 हैक्टर, 663 रकवा 0.57 हैक्टर, 901 रकवा 0.35 हैक्टर एवं 1240 रकवा 0.74 हैक्टर का विकय पत्र के आधार पर नायब तहसीलदार के समक्ष नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया जिसे प्र0क0 9/11–12/अ–6 पर दर्ज किया जाकर, आदेश दिनांक 24–12–2011 को केता का नामान्तरण स्वीकार किया गया। एवं दिनांक 6–1–2014 को राजस्व मण्डल के आदेश के पालन में नामान्तरण प्रकरण को पुनः ओपन न करने का आदेश पारित किया गया। इन्हीं आदेश के विरूद्ध अनावेदिका क.2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्र0क0 40/13–14 अ.मा. प्रस्तुत की गई जिसमें अनावेदिका क.2 द्वारा संहिता की धारा 52	

एंव 32 के अंतर्गत एक ही आवेदन प्रस्तुत कर नायब तहसीलदार के आदेश का कियान्वयन स्थगित किये जाने की मांग की गई। एवं आवेदिका द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत दो आवेदन पेश कर निवेदन किया गया कि, विवादित भूमियों के संबंध में व्यवहार न्यायालय वर्ग–2 अम्बाह के समक्ष स्वत्व धोषणा के लिये वाद संस्थित किया गया है, इस कारण अपील प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया। उक्त आवेदन पत्रों पर अनुविभगीय अधिकारी द्वारा विचारोपरान्त माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किये जाने के कारण आवेदिका का आवेदन पत्र धारा–32 आदेश दिनांक 8–12–2015 पारित कर अस्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एंव अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा केता के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किया गया है जिसकी अपील अनावेदिका क.2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाकर, उक्त नामान्तरण आदेश पर माननीय व्यवहार न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन होने का हवाला देते हुये अपील की सुनवाई को रोके जाने की कार्यवाही की गई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के अवलोकन पर पाया कि माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। इस कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदिका का

आवेदन पत्र धारा 32 अस्वीकार किया जाकर, प्रकरण अन्तिम वहस हेतु दिनांक 23–12–2015 को नियत किया गया था। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह, जिला मुरैना द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 8–12–2015 उचित होने से स्थिर रखे जाने येाग्य है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाकर, अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह जिला मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 40/2013--14 अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 8.12.2015 विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर